नहीं बदलूंगा, लेकिन हमने जो लक्ष्य तय किया है, 2024 में हम वह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। महोदय, चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, हम उन कठिनाइयों को सुगमता से पार करेंगे, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को यहां पर समाप्त करूंगा। हम सब यही मानकर चलें कि हम सब साथ हैं। देश के लिए पर्यटन मंत्रालय कोई अलग से ऐसा मंत्रालय नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी नैतिक रूप से या संवैधानिक रूप से ले सकूं- मैं नैतिक रूप से ले सकता हूं, लेकिन संवैधानिक रूप से नहीं ले सकता हूं। ऐसे अनेक काम हुए हैं, जिनको शायद मैं लम्बा कह सकता हूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, आपने मुझे पर्याप्त समय दिया है। मैं पहले सोचकर आया था कि बहुत कुछ कहूंगा, लेकिन मैं शेर को कहकर ही अपनी बात खत्म कर देता हूं। सामान्यतः मुझे शेर पढ़ना नहीं आता है, लेकिन हम जैसा सदन में पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जो शेर बोलते हैं। मैं, सच में, हृदय से धन्यवाद करता हूं कि किसी भी सदस्य ने कोई ऐसी आलोचना नहीं की, जो मन को दुख दे या कोई गलत दिशा में हो। आप सभी ने सही बात कही है। कुछ फर्क हो सकता है कि हमको लगता है कि क्या होगा और शायद कुछ कारणों से बातें स्वीकार नहीं कर पाते होंगे।

"कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता।
जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता।"

शायद आपने ही यह एक बार कहा था, वही मैंने लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं फिर से सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहूंगा कि इस चर्चा में आपने भाग लिया और मैं मानता हूं कि पर्यटन आर्थिक दृष्टि से, रोज़गार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें देश गति के साथ आगे बढ़ेगा। आप सभी का सहयोग ऐसे ही मिलेगा, इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उपसभापति जी, आपका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Message from Lok Sabha.

MESSAGES FROM LOK SABHA - *Contd.*

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 19th March, 2021."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.